भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5559

दिनांक 26 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

5559. श्री दिव्येन्दु अधिकारीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के प्रावधान देश में लाभार्थी माताओं को मिलने वाले लाभ पर प्रतिबंध लगाकर और वित्तीय प्रतिबद्धता को कम करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का उल्लंघन करते हैं, जिसके तहत ''हर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता'' 6,000 रुपये के मातृत्व लाभ की हकदार होती हैं;

(ख) यदि हां, तो पीएमएमवीवाई को एनएफएसए के अनुरूप लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) उन महिलाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने 2017 से पूर्ण पीएमएमवीवाई का लाभ प्राप्त किया है और उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किये गए जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पूर्ण मुआवजे के रूप में मिलने वाले वित्तीय योगदान में वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ख) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में कम से कम 6000/- रूपये के मातृत्व लाभ की व्यवस्था की गई है जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किश्तों में दिया जाएगा । प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएंडएलएम) को प्रथम जीवित बच्चे के लिए गर्भावस्था और स्तनपान कराने की अवधि के दौरान तीन किश्तों में 5000/- रूपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के पश्चात् जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार नकद प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है ताकि प्रत्येक महिला को औसतन 6000/- रूपये प्राप्त हो सकें।

(ग) : भारत सरकार ने दिनांक 01.01.2017 से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पूरे देश में कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सन् 2017 से सभी तीन किश्तें प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा अनुलग्नक-I में है ।

(घ) और (ड.) : प्रश्न नहीं उठता ।

*****

अनुलग्नक-1

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) विषय पर श्री दिव्येन्दु अधिकारी द्वारा दिनांक 26.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5559 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिनांक 22.07.2019 तक सभी तीन किश्तें प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**01.01.2017** से **22.07.2019** तक सभी तीन किश्तें प्राप्त करने वाले लाभार्थी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,280
2	आंध्र प्रदेश	4,10,134
3	अरुणाचल प्रदेश	3,880
4	असम	1,02,851
5	बिहार	1,17,685
6	चंडीगढ़	6,878
7	छत्तीसगढ़	1,02,449
8	दादरा और नगर हवेली	1,679
9	दमन और दीव	824
10	दिल्ली	56,597
11	गोवा	6,060
12	गुजरात	3,28,466
13	हरयाणा	1,69,571
14	हिमाचल प्रदेश	64,090
15	जम्मू और कश्मीर	52,019
16	झारखंड	1,01,866
17	कर्नाटक	3,47,581
18	केरल	1,68,833
19	लक्षद्वीप	171
20	मध्य प्रदेश	6,62,609
21	महाराष्ट्र	5,56,165
22	मणिपुर	13,847
23	मेघालय	3,713
24	मिजोरम	9,004
25	नगालैंड	5,551
26	ओडिशा *	3
27	पुडुचेरी	6,046
28	पंजाब	1,25,116
29	राजस्थान	3,74,688
30	सिक्किम	3,128
31	तमिलनाडु	129
32	तेलंगाना *	0
33	त्रिपुरा	15,762
34	उत्तर प्रदेश	8,19,893
35	उत्तराखंड	37,761
36	पश्चिम बंगाल	2,80,843
	कुल	**49,58,172**

*ओडीसा और तेलंगाना राज्य अपने-अपने राज्यों में विशेष मातृत्व लाभ योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं और इनके द्वारा प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अनुसार अपनी योजना का कार्यान्वयन अभी किया जाना है ।